

राजस्थान सरकार
राजस्व (गुप-6) विभाग

क्रमांक:- प.9 (45)राजस्व-6/2016/ 12

जयपुर, दिनांक:- 11-04-2016

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (वर्ष 1956 का अधिनियम सं0 15) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(12) राज-6/99/पार्ट/8 दिनांक 30.7.2014 में निम्न संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की शर्त संख्या 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "किन्तु विद्युत निगमों को आवंटित भूमियों को इस हेतु देय राशि, राज्य सरकार द्वारा उन्हे देय आर्थिक सहायता (सब वेंसन) में से समायोजित की जायेगी" को विलोपित किया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(डा० कुंज बिहारी पण्ड्या)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदया, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, राजस्व (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव राजस्व विभाग।
5. महालेखाकार, राजस्थान।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर राजस्थान।
8. उप महालेखाकार, एस.आर.ए., राजस्थान।
9. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
10. निदेशक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को असाधारण अंक में दिनांक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
11. राविरा, राजस्व मण्डल अजमेर।
12. उप पंजीयक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल अजमेर।
13. समस्त संयुक्त शासन सचिव एवं उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव